International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 27-12-2021, Accepted: 11-01-2022, Published: 27-01-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 59-68

सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण

शिखा गोयल
रिसर्च स्कॉलर, सी.सी.एस.यू. मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना "महिला सशक्तिकरण" है।

कोमल है, कमजोर नहीं तू स शक्ति का नाम ही नारी है।।
जग को जीवन देने वाली स मौत भी तुझसे हारी है।।'

महिला सशक्तिकरण' के बारे में जानने से पहले हमें ये समझ लेना चाहिये कि हम 'सशक्तिकरण' से क्या समझते है। 'सशक्तिकरण' से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है जिसमें वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे है जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। भारत जनसंख्या के घनत्व में दूसरे स्थान पर हैं, ४६ प्रतिशत महिलाएं पुरुषों के बगल में एक प्रमुख मानव संसाधन बनाती है। महिला सशक्तीकरण की भूमिका हमेशा शिक्षा से संबंधित हैस वास्तव में महिलायों के लिए उच्च शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैप यहाँ पं.जवाहर लाल नेहरु द्वारा कहा गया मशहूर वाक्य "लोगों को जगाने के लिये", महिलाओं का जागृत होना जरुरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है। भारत में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिये सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी दक्यानुसी सोच, राक्षसी सोच को मारना जरुरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण–हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वैश्यावृति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। लैंगिक भेदभाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अंतर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढ़केलता है। भारत के संविधान में उल्लिखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है इस तरह की बुराईयों को मिटाने के लिये। अथवा नेहरु के शव्दों के अनुसार यदि कोई महिला शिक्षित है,तो अपने परिवार को शिक्षित बनाने में सक्षम हो सकती है,जिससे वह सशक्त बन सकती हैप भारतीय महिलाओं ने भारत के निर्माण में कई प्रावधानों के बावजूद अशिक्षा, सहायता की कमी, लींग पूर्वाग्रह आदि जैसी कई समस्याओं से गुजरी है, जैसे कि इसके प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और जैसे महिलाओं के लिए समानता के बारे में उलेख्य किया गया हैप उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की अवधारणा के सफल प्रक्षेपण के बाद भी सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी में कमी आई हैप अतः वर्तमान पेपर उच्च शिक्षा के माध्यम से भारतीय महिलाओं और उनके सशक्तीकरण पर केंद्रित है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उच्च शिक्षा महतवपूर्ण भूमिका निभाएगी।

महात्मा गाँधी'' हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।'' यू.एन.डी.पी, नारी सशक्तिकरण को सिर्फ इसलिए महत्व नहीं देता कि यह मानव अधिकार है बल्कि इसके माध्यम से हमारे सदियों से चले आ रहे विकास के लक्ष्यों को पूरा करने का और सतत् विकास के मार्ग में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को भी शामिल करना है। लैंगिक समानता, गरीबी में कमी, लोकतांत्रिक शासन, संकट की रोकथाम, पर्यावरण और सतत् विकास में महिलाओं की भागीदारी, सशक्तिकरण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है।

मूलशब्दः महिला सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक

प्रस्तावना

वैश्विक राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी

संयुक्त राष्ट्र में संसदों के अन्तरराष्ट्रीय संगठन, अन्तर–संसदीय संघ यानि आईपीयू की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनियाभर की संसदों में, महिला सांसदों की भागेदारी 25 प्रतिशत से अधिक पहुँच गई है। यह आँकड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि मूलक बताया गया है, लेकिन साथ ही संयुक्त राष्ट्र का यह भी कहना है कि संसदों में लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य अभी भी दूर है। आईपीयू के महासचिव का कहना है कि , "पहली बार दुनिया भर की संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी का वैश्विक औसत, एक चौथाई का आँकड़ा पार कर गया है"।

बीजिंग घोषणा के बाद से ही दुनिया भर में प्रगति नज़र आई है। वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागेदारी 1995 के के स्तर 11.3 फ़ीसदी से बढ़कर, आज के दौरा में 25.5 फ़ीसदी हो गई है। एशिया में जहाँ पहले यह आँकड़ा 1995 में 13.2 प्रतिशत था, अब 20.4 प्रतिशत हो गया है। महिला सांसदों का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा जरूर है

लेकिन कुछ देशों की तुलना में यह अभी भी कम है. इनमें रवांडा (61%), दक्षिण अफ्रीका (43%), यूके (32%), यूएसए (24%), बांग्लादेश (21%) शामिल हैं।

पहली महिला प्रधानमन्त्री, महिला राष्ट्रपति, महिला स्पीकर, महिला रक्षा मन्त्री, महिला वित्त मन्त्री का रिकॉर्ड बनाने वाले देश, भारत में, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर प्रगति देखी जाती रही। लेकिन इसके बावजूद भी विधायिका में महिलाओं की एक तिहाई हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के मकसद से तैयार किया गया तैंतीस फीसद आरक्षण संबंधी विधेयक आज तक संसद में पारित नहीं हो सका है। 2016 में स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को तैंतीस फीसद आरक्षण दिए जाने के विरोध में नगालैंड में जिस तरह हिंसा हुई, उससे साफ हो गया कि समाज भी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी स्वीकार करने को राजी नहीं है। खास बात यह है कि विरोध उस पूर्वोत्तर राज्य में हुआ, जहां जन जातीय गुटों में महिला प्रधान पारिवारिक व्यवस्था को कथित रूप से मान्यता मिली हुई है। देश की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ नौ प्रतिशत ही है। राजनीति में वही महिलाएं आ पा रही हैं, जो किसी राजनीतिक परिवार की हैं या उन्हें किसी बड़े राजनेता का संरक्षण प्राप्त है।

भारत की स्थिति

लोकसभा के पिछले दो कार्यकाल की बात करें तो 2009 में महिला सांसदों की संख्या उनसठ थी, जो 2014 में बढ़ कर इकसठ हो गई। यानी कुल सांसदों का करीब–करीब ग्यारह फीसद। भारत के 17 वीं लोकसभा में संसद में महिलाओं की सबसे अधिक संख्या देखी गई । देश भर से 78 महिला सांसद जीत कर संसद में पहुंची । वर्तमान में भारतीय संसद में महिलाओं की मौजूदा उपस्थिति 14.36 प्रतिशत है। 2019 में देश भर में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने लोकसभा में अधिकतम महिला सांसदों को भेजा है। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 11–11 महिलाएं जीती हैं। देश में महिला आरक्षण बिल भले न पारित हुआ हो लेकिन 33 प्रतिशत महिलाएं ओडिशा से चुनकर वर्ष 2019 में भारतीय संसद में पहुंच गई । ओडिशा के कुल 21 सांसदों में से सात महिलाएं हैं।

1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 2014 के चुनाव तक महिला सांसदों की संख्या बेहद धीमी रफ्तार से बढ़ी है। 1952 में बीस महिला चुनाव जीत पाईं। यह संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 4.1 फीसद थी। बाद के चुनाव में महिलाओं के मैदान में उतरने की संख्या तो बढ़ती गई, लेकिन उस अनुपात में वे लोकसभा तक नहीं पहुंच सकीं। 1957 में पैंतालीस महिलाओं ने चुनाव लड़ा, जिसमें से बाईस ने चुनाव जीत कर सदन में अपनी उपस्थिति 4.5 फीसद दर्ज कराई। तीसरे आम चुनाव में 1962 में इकतीस महिलाएं संसद में पहुंची, जो कुल सांसदों का 6.3 फीसद थीं। तब छियासठ महिलाएं चुनाव मैदान में उतरी थीं यानी कुल उम्मीदवारों का महज 3.2 फीसद। 1967 में तो यह फीसद 2.8 रह गया, लेकिन सड़सठ महिलाओं ने चुनाव लड़ा। यह बात अलग है कि उनमें से उनतीस ही जीत पाईं और लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व घट कर 5.6 फीसद रह गया। यह 1971 में गिर कर 4.1 फीसद रह गया। कुल उम्मीदवारों की तीन फीसद यानी छियासी महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत सकीं इक्कीस ही। 1977 में तो स्थिति और गड़बड़ा गई। महिलाओं की उम्मीदवारी सिकुड़ कर 2.9 फीसद पर आ गई। सत्तर महिलाओं में से उन्नीस ही जीत पाईं और लोकसभा में उनका हिस्सा सबसे कम 3.5 फीसद रहा। 1980 का चुनाव इस मायने में अहम रहा कि पहली बार महिला उम्मीदवारों की संख्या ने सौ का आंकड़ा पार कर लिया। उस साल 143 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। हालांकि यह संख्या कुल उम्मीदवारों का 3.1 फीसद ही था। अट्ठाईस महिलाएं चुनाव जीत पाईं। उसके बाद से महिला उम्मीदवारों की संख्या लगातार बढ़ती गई। हालांकि कुल उम्मीदवारी में उनका फीसद कम ही बढ़ा।

1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में हुए चुनाव में 162 महिलाएं यानी कुल उम्मीदवारों का तीन फीसद मैदान में उतरीं। बयालीस को सफलता मिली, जिसके बल पर लोकसभा में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 8.2 फीसद कर ली। 1989 में कुल उम्मीदवारों में 3.2 फीसद यानी 198 महिला उम्मीदवार थीं। लेकिन जीत पाईं केवल उनतीस ही और पिछली बार लोकसभा में हिस्सेदारी का फीसद 8.2 से घट कर 5.5 पर आ गया। 1991 में कुल 326 महिलाएं मैदान में थीं। उम्मीदवारी में 3.8 फीसद का यह हिस्सा सैंतीस सीटों पर जीत के साथ लोकसभा में महिलाओं की 7.1 फीसद उपस्थिति दर्ज हुई। 1996 में चालीस महिलाएं लोकसभा पहुंची। यह कुल सदस्य संख्या का 7.4 फीसद था। लेकिन तब पांच सौ निन्यानबे महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। और कुल उम्मीदवारों में उनका फीसद पहली बार चार को पार कर 4.3 हुआ था। 1998 में महिला उम्मीदवारों की संख्या घट कर 274 रह गई, लेकिन उस चुनाव में तिरालीस महिलाओं ने जीत दर्ज कर लोकसभा में अपनी हिस्सेदारी 7.9 फीसद कर ली।

यह सिलसिला 1999 में भी जारी रहा। तब चुनाव हालांकि 284 महिलाओं ने ही लड़ा, लेकिन कुल उम्मीदवारी में अपना हिस्सा 6.1 फीसद कर लिया। तीन साल में तीन चुनाव होने की वजह से कुल उम्मीदवारों की संख्या वैसे भी उस साल कम रही थी। बहरहाल, 1999 में उनचास महिलाओं ने चुनाव जीता और अपना हिस्सा नौ फीसद कर लिया। 2004 में 355 महिलाएं चुनाव लड़ीं और पैंतालीस (कुल सांसदों का 8.3 फीसद) जीत गईं। 2009 में हुए आम चुनाव में 556 महिलाएं मैदान में उतरीं। यह संख्या कुल उम्मीदवारों का 6.9 फीसद थी। खास बात यह है कि पहली बार महिलाओं ने पचास का आंकड़ा पार कर उनसठ सीटें जीतीं और पहली बार लोकसभा में उनकी उपस्थिति दहाई तक पहुंच कर 10.9 फीसद हो गई। 2014 में लोकसभा में महिलाओं का फीसद ग्यारह को पार कर गया। इस बार उनकी संख्या चौदह फीसद से कुछ ऊपर है। इस तरह बासठ साल के सफर में महिला सांसदों की संख्या बीस से अठहत्तर हो पाई है।

हर साल अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी होने वाली इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) की रिपोर्ट यही बताती है कि भारत की संसद या विधानसभा में महिला जनप्रतिनिधियों की काफी कम उपस्थिति महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण राजनीतिक मानसिकता का प्रतीक है। 2015 की आईपीयू की रिपोर्ट में इस मोर्चे पर भारत को एक सौ तीनवें नंबर पर रखा गया। इस सूची में पहले दस नंबर पर रवांडा, बोलिविया, अंडोरा, क्यूबा, सेशेल्स, स्वीडन, सेनेगल, फिनलैंड, इक्वेडोर और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश हैं। पड़ोसी देशों में सिर्फ श्रीलंका से बेहतर स्थिति में भारत है। 2014 में आईपीयू ने 189 देशों की संसद में महिला प्रतिनिधियों की संख्या के आधार पर जो वरीयता सूची बनाई थी, उसमें भारत

का स्थान एक सौ ग्यारहवां था। तब भी और आज भी सीरिया, नाइजर, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के अलावा चीन और सिएरा लियोन जैसे देश इस मामले में भारत से आगे हैं।

लैंगिक समानता को प्राथमिकता देने से पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। महिला सशक्तिकरण के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये इसे हर एक परिवार में बचपन से प्रचारित व प्रसारितकरना चाहिये। ये जरुरी है कि महिलाएँ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रुप से मजबूत हो। चूंकि एक बेहतर शिक्षा की शुरुआत बचपन से घर पर हो सकती है, महिलाओं के उत्थान के लिये एक स्वस्थ परिवार की जरुरत है जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक है। आज भी कई पिछड़े क्षेत्रों में माता–पिता की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की वजह से कम उम्र में विवाह और बच्चे पैदा करने का चलन है। महिलाओं को मजबूत बनाने के लिये महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अलगाव तथा हिंसा आदि को रोकने के लिये सरकार कई सारे कदम उठा रही है।

महिलाओं की समस्याओं का उचित समाधान करने के लिये महिला आरक्षण बिल–108वाँ संविधान संशोधन का पास होना बहुत जरुरी है ये संसद में महिलाओं की 33ः हिस्सेदारी को सुनिश्चित करता है। दूसरे क्षेत्रों में भी महिलाओं को सक्रिय रुप से भागीदार बनाने के लिये कुछ प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है।

सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये लड़िकयों के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरुरत है।

महिला सशक्तिकरण का संबंध महिलाओ के तरक्की और पुरुष प्रधान समाज में उन्हें बराबरी का स्थान दिलाने से है। विश्व भर में महिलाओं और पुरुषो की आबादी समान होते हुए भी उन्हे बराबर का सम्मान नही मिलता और यह समस्या सिर्फ भारत में ही नही अपितु पूरे विश्व में व्याप्त है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना और सामाजिक सम्मान जैसे प्रमुख मुद्दे आते है, जिन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज के बदलते परिवेश में प्रत्येक क्षेत्र में जो पुरुष प्रधानता की संकीर्ण विचारधारा स्थापित है। वह आज बदलकर महिला सहभागिता की विचारधारा में बदल रही है। महिला सशक्तिकरण आंदोलन ने सभी क्षेत्राों में महिलाओं के योगदान व उनकी भूमिका को विश्व के समक्ष स्पष्ट कर दिया है।

इस शोधपत्र का उद्देश्य भी बदलते परिवेश में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की बदलती स्थिति को स्पष्ट करना है। साथ ही महिला सशक्तिकरण में पुरुष समाज की संकीर्ण विचारधारा के पहलू को स्पष्ट करते हुए वर्तमान समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका को भी दर्शाने का प्रयास किया है। इस शोधपत्र में वास्तव में महिला सशक्तिकरण को सफल बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रा में महिलाओं के महत्व को प्रकट किया है। क्योंकि बिना इन क्षेत्राों में महिला विकास की रणनीति बनाए उनका सशक्तिकरण सम्भव नहीं है।

आधुनिक काल में नारी के विकास की स्थिति को बढ़ते हुए देखा जा सकता है। प्राचीन काल से अब तक निरंतर नारी की स्थिति बदलती रही है। जहाँ प्राचीन काल में नारी को सम्मान पूर्ण जीवन का अधिकार था वही मध्यकाल में नारी को पूर्ण रूप से पुरुषों की अधीन समझा जाने लगा था। परन्तु वर्तमान में स्थिति ने करवट ली और नारी के विकास में बढ़ते कदमों ने नारी की स्वतंत्राता का मार्ग दिखाने का प्रयास किया। वर्तमान में, नारी के विकास केवल किसी विशेष क्षेत्रा में ही किया जा सकता है। आधुनिक काल में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्राों की मिश्रित व्यवस्था से ही नारी के विकास को देखा जा सकता है। नारी, समाज से प्रभावित होती है तथा इन तीनों क्षेत्राों में नारी की विशेष भूमिका होती है। नारी की आँखों में कानून से भी अधिक शक्ति होती है और किसी भी तर्क से अधिक उसके अनु प्रभावशाली होते हैं।

आज भारत में नारीवाद की जो हवा चल रही है, वह नारी कल्याण एवं राष्ट्र दोनों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि बिना नारी के विकास के समाज का विकास सम्भव नहीं है और जब तक समाज का विकास नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। भारतीय समाज में नारी वर्ग हमेशा से ही उपेक्षित रहा है, और हमेशा से ही इसका शोषण होता आया है। प्राचीन भारतीय समाज में तो नारी की दशा और खराब थी। अनेक कुप्रथायें जैसे–सती प्रथा, बाल–विवाह, पर्दा प्रथा आदि समाज में पफैली हुई थीं। जिसे राजा राम मोहन राय, लार्ड विलियम बैटिंग जैसे समाज सुधरकों ने दूर किया। आज भी नारी की दशा अच्छी नहीं है, आज भी इनकी अवहेलना किसी न किसी स्तर पर हो रही है। समाचार पत्राों में कहीं नारी का उत्पीड़न, तो कहीं दहेज के कारण नारी की हत्या, बलात्कार एवं भ्रूण हत्या जैसी घटनायें पढ़ने को मिलती हैं। यह हमारे लिए चुनौती का विषय है, जिससे निपटे बिना नारी का विकास सम्भव नहीं है। यदि हमें नारी का विकास करना है, तो इन चुनौतियों को दूर करना होगा।

हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि नारियाँ पुरुषों से किसी भी क्षेत्रा में कम नहीं रही हैं, चाहे वो लक्ष्मी बाई हो, श्रीमती इन्दिरा गाँधे हो, मदरटेरेसा हो, कल्पना चावला हो, इन्दिरा नुई हो, या पिफर किरण बेदी हो। इन सभी नारियों ने अलग–अलग क्षेत्राों में अमिट छाप छोड़ी है।

एक सर्वेक्षण के मुताबिक 65÷ लोगों का मानना है, कि यदि नारी वर्ग का ठीक ढंग से विकास करना है तो नारी की शिक्षा के साथ–साथ समाज के सभी वर्गों के सभी लोगों को शिक्षित किया जाये और नारी अत्याचार को रोकने के लिए ठोस कानून बनाकर सख्ती से लागू किया जाय, तभी जाकर नारी को समानता का अधिकार मिल सकेगा।

शिक्षा के द्वारा महिलाओं ने अपने अधिकार को पहचाना है, आज संसार का कोई भी कोना ऐसा नहीं है, जहाँ महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न हुई हो। वे अपने अधिकारों को पाने के लिए पुरुषों के समान आगे एवं सचेत रही हैं। जिसके पफलस्वरूप अपने स्वयंसेवी एवं समाजसेवी संगठनो ंकी स्थापना हो रही हैं जिसमें महिलायें उत्कृष्ट कार्य करते हुए बेहतर सेवा के परिणामस्वरूप, संसार में अपनी शक्ति का परचम लहरा रही हैं।

''नारी निन्दा न करें, नारी नर की खान
नारी से नर होता है, ध्रुव प्रहलाद समान''

प्राचीनकाल से आज तक भारतीय महिलाओं ने विकास के परिपेक्ष्य में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। आधुनिक प्रगतिशील सामाजिक युग में महिलाओ की स्थिति में आधरभूत परिवर्तन आया है। आज उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्राों में पुरुषों के समान प्रवेश कर अपनी सपफलता का परचम लहराया है। आज महिलायें सरकारी अपफसर, सेना में उच्च पद, पुलिस, पायलट, उद्यमी, प्रबन्ध्क आदि सभी कुछ है। उन्होंने दिखा दिया है कि अवसर मिलने पर वह परिवार का ही नहीं वरन् राष्ट्र का भी शासन कुशलता से चलाने मे सक्षम हैं। प्राचीन काल से ही महिलाओं में प्रशासकीय गुणों की उपस्थिति होने के अनेक उदाहरण मिलते रहे हैं। रजिया बेगम, नूरजहाँ, झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, गोंडवाना की रानी दुर्गावती,बीजापुर की रानी चांदबीबी,किंतूर की चेन्नमा,इंदौर की रानी अहिल्याबाई होल्कर,ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ प्रथम व द्वितीय,रूस की रानी कैपरीन आदि अपने शासन काल में योग्य शासक रहीं। आधुनिक काल में पूर्व प्रधनमंत्राी श्रीमती इंदिरा गांधे, वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधे, लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार, लोकसभा मे विपक्ष की नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्राी सुश्री मायावती ने राजनीतिक मंच पर अपनी विशेष योग्यता का परिचय दिया है। अन्ततः कहा जा सकता है कि महिलाओं को रानीतिक कार्यशैली पर आज कोई प्रश्नचिन्ह नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक कार्य में उनकी सुदृढ़ स्थिति परिलक्षित है।

भारत में महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास

वर्तमान समय में महिलायें अध्कि स्वावलंबी एवं अपने अध्किारों के प्रति सचेत हुई है, एक बड़ा ग्रामीण महिलाओं का समुदाय कामकाजी है किन्तु वह आत्मनिर्भर नहीं है इसका मुख्य कारण है उनका असंगठित होना। इस असंगठित होने का मुख्य आधर शिक्षा का अभाव है। जब तक उच्च शिक्षा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा महिला सशक्तिकरण संभव नहीं है। भारतीय संविधन में महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किये हैं। भारत में ही महिलाओं के लिए ''राम कृष्ण मिशन'' ने स्त्राी शिक्षा के विषय में कहा है कि ''शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता।'' भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रोपफेसर राममूर्ति समिति ;1999द्ध राष्ट्रीय महिला आयोग गठन ;1992द्ध में किया जिसमें बालिका शिक्षा के लिये छात्रावृत्तियों, मुफ्रत पाठ्य पुस्तकों को विवरण एवं अन्य प्रोत्साहन दिये जाने से ग्रामीण क्षेत्रा में भी निवास करने वाली बालिकायें एवं महिलायें अध्कि से अध्कि लाभान्वित हुई। प्राचीन भारत की रूढ़ियों एवं प्रचलित मान्यताओं के कारण ही नारी का बाहरी जीवन से सम्पर्क टूट गया। भारत में ही गांधे, स्वामी दयानन्द, राजा राम मोहन राय ने नारी शिक्षा पर बल दिया जिस कारण आज भारत की नारी पुरुषों से हर क्षेत्रा में कंध मिलाकर चल रही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा है– ''देश की स्थिति में सुधर लाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत आवश्यक है। उनके नेतृत्व से एक अच्छे परिवार का निर्माण होगा, और उनके विकास परिवार की उन्नति करेंगे और वह तभी संभव होगा जब महिलायें, पफसलों की कटाई से लेकर खलिहान व गोदामों में संग्रहण व्यवस्था तक, साथ ही रेशम के कीट पालन, कालीन, दरी निर्माण आदि के साथ हथकरघा, मुर्गीपालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, सब्जी, पफल, अनाज आदि के क्षेत्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। उच्च शिक्षा के कारण ही आज महिलायें कई कदम आगे है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण वर्तमान भारत की तस्वीर है।

भारतीय ग्रामीण महिलाओं के बिना किसी समाज, राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक विकास की कल्पना करना मुश्किल है। महिलाओं में उच्च शिक्षा के कारण ही हर क्षेत्रा मे कार्यकुशलता व कर्मठता के बल पर बुलन्दियों को छूती हुई सम्मानित व प्रतिष्ठित हो रही है।

भारतीय संस्कृति में नारी को माता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। नारी को देवी मानकर हमारे आर्षग्रंथों के पन्ने–पन्ने भरे पड़े हैं। नारी एक शक्ति है– सृजन की शक्ति, इसलिए मंत्राों के माध्यम से इसकी अभ्यर्थना की गई है, परन्तु विडंबना है कि आज उसे उपभोग की वस्तु मानकर बाजार में खड़ कर दिया गया है। जितने अत्याचार, अपमान एवं शोषण उस पर ढाये गये हैं, सम्भवतः किसी सदी में किसी पर भी इतने नहीं किये गये होंगे। इतना होने के बावजूद आज वह जीवित है, यह संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब तक नारी को पुनः गोरवमंडित नहीं कर दिया जाता, उसे पुनर्प्रतिष्ठित नहीं कर दिया जाता, समुचित न्याय सम्भव नहीं होगा।

आज का समाज पुरुष प्रधन समाज है। हर जगह पुरुषों का वर्चस्व है। नारी को दरजा देकर उसके बारे में कहा जाता है कि उसका कार्य केवल पेट–प्रजनन तक है, परन्तु इस पुरुष प्रधन मान्यता को प्रारम्भ से चुनौती मिलती रही है। प्रारम्भ में नारी की इस स्थिति के प्रति समर्थन प्रदान करने वाले कम ही लोग थे एवं विचारधरा पुरुष प्रधन थी, परन्तु नारी पात्रा के रूप में प्रादुर्भूत इस विचारधरा की यात्राा यहाँ तक आ पहुंची है कि आज नारी पुरुषों के एकछत्रा साम्राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इस सन्दर्भ में आँकड़े मुखर हैं जो बताते हैं कि हर क्षेत्रा में नारी आगे बढ़ रही है और लगातार आगे बढ़ रही है। अभी भी उसे अपना खोया आत्म सम्मान प्राप्त करने में कुछ देरी अवश्य है, परन्तु सम्भावनाएं बड़ी स्पष्ट हैं।

पारम्परिक दर्शन पुरुष प्रधन प्रतीत होता है। परन्तु भारतीय दर्शन की मूल अवधरणा में नारी को माता कहा गया है। माँ की अभिव्यक्ति इस सृष्टि की सबसे बड़ी उदात्त एवं पवित्रा धरणा व भावना है। यह एक दिव्य मंत्रा है और नारी अलंकृत है। अपाला, मैत्रोयी, गार्गी आदि कुछ ऐसे नाम हैं जो वेदों में सूक्तों एवं मंत्राों के दृष्टा हैं। नारी के प्रति ऐसी उदात्त अवधरणा सम्भवतः कहीं दृष्टिगोचर नहीं होती है। इसमें अवमूल्यन तो बहुत बाद में प्रारम्भ हुआ। इस सन्दर्भ में 'एलिसन जैगर' कहती है कि दुनिया को मापने एवं लॉघने का पुरुषोचित नजरिया अलग ही रहा है। हालांकि कुछ दार्शनिक जैसे प्लेटो, जान स्टुअर्ट मिल एवं मार्क्स आदि ने नारी को पुरुष के समकक्ष रखा है।

नारी अस्मिता की स्थिति की ओर सकारात्मक कदम

नारी विमर्श आज सारी दुनियाँ में एक प्रमुख नारे के रूप में उभरा है। अपने अस्तित्व को लेकर महिलाएँ आज खामोश नहीं रहना चाहती है। वह कसमसा रही है अपने को सामने लाने के लिए या कहें कि अपने को प्रभावशाली रूप में सामने लाने के लिए। वह अपने आस–पास के परिवेश को जानना चाहती है, समझना चाहती है। और अपने हस्तक्षेप से उसकी

शक्ल गढ़ने का अधिकार पाना चाहती है। संसार में जो कुछ हो रहा है वह पुरुष ही क्यों करे? उस पर पुरुष का ही अधिकार क्यों हो? नारी का क्यों नहीं? यह संघर्ष आज अधिक उभरता हुआ, फैलता हुआ दिखाई दे रहा है पर है तो यह प्राचीन संघर्ष ही। मानव इतिहास के लम्बे समय में नारियों की स्थिति में कई उतार–चढ़ाव आए, इस लम्बे इतिहास का निचोड़ यही रहा कि अधिकांश समय में स्त्रियों की स्थिति अन्धकारमय रही। वह शोषण का शिकार रही और उनकी स्थिति पुरुष के मुकाबले बदतर रही। पर वह चुप तो कभी नहीं रही। अपने अस्तित्व में आने के समय से ही। द सेकेंड सेक्स में सीमोन द बोउवार लिखती हैं कि ''आदम को ''इव'' इसलिए सौंपी गयी थी कि वह सर्वोत्तम हो सके, पूर्णता प्राप्त कर सके, पर ईव ने उसे विश्व व्याप्त कर दिया। नारी पुरुष को आनन्द देते हुए उसे पुनः उसी अपार दर्शक मिट्टी में बन्दी बना देती है, जिसे माँ अपने पुत्र के शरीर की रचना करने के लिए अपने गर्भ में धारण करती है और जिससे पुरुष भागना चाहता है। वह नारी पर आधिपत्य चाहता है,[1] पर वह स्वयं उसके अधीन हो जाता है। ''अर्थात नारी रूप में और न ही प्रकृति रूप में वह प्रकार निर्बल है, न ही असहाय। पुरुष उसे कोमल और कमनीय समझ कर उस पर पूर्ण अधिकार चाहता है पर उसकी अव्याख्यायित शक्तियाँ उसे हैरान कर देती है। वह उसे समझ नहीं पाता और उसे रहस्यमय समझकर उसकी उपासना शुरू कर देता है।

पूरे संसार में स्त्रियों की स्थिति, उसका इतिहास लगभग एक जैसी दशा प्रस्तुत करता है। सामाजिक रूप में कभी वह कमजोर रही तो, वेदों में ऋचाएं लिखने का गौरव भी उसने हासिल किया। दूसरी ओर रोमन साम्राज्य में भी स्त्रियों की स्थिति दोहराव भरी रही। सीमोन द–बोउवार लिखती हैं ''चूंकि स्त्रियां पुरुषों के साथ शिकार में जाती थीं, रथ दौड़ाती थीं, कानूनी मामलों में दखल देती थीं, कुश्ती लड़ती थीं, अतः वे पुरुषों की प्रतिद्वन्द्वी और दुश्मन भी होती थीं। पुराने गणतन्त्रीय रोम की स्त्रियाँ परिवार में एक विशिष्ट स्थान रखती थीं, किन्तु उनके पास वैद्य अधिकार नहीं होते थे और न हीं किसी प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता थी।'' स्थिति स्पष्ट है स्त्रियां सम्भवतः इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ चाहती थीं। देवी के रूप में अपनी उपासना को उन्होंने गौरवमयी मानने से इन्कार कर दिया। वेदों में ऋचाएं लिखने के अधिकार को उन्होंने सन्तोष जनक नहीं माना साथ में शिकार खेलने जाने को भी उन्होंने पर्याप्त नहीं माना। परिवार में व समाज में ऐसा बहुत कुछ था जहाँ वह असहज महसूस करती रहीं। जहाँ केवल पुरुष था और स्त्रियाँ उसकी खामोश अनुगामिनी। अतः सतह के नीचे और सतह के ऊपर एक शान्त कुलबुलाहट के रूप में नारी अस्मिता का संघर्ष चलता रहा।

नारी अस्मिता के इस संघर्ष में पुरुष भी जुड़ते रहे। सन्त रामानुजाचार्य एवं ज्योतिबा फुले, राजा राममोहन राय नारी समानता के व्यापक विचार को लेकर आगे आए। उन्होंने समाज के विरोध की परवाह किए बिना नारी समानता के विचार को आगे बढ़ाया। वस्तुतः यही वह चीज थी जो स्त्रियों को चाहिए थी। किन्हीं विशिष्ट स्थानों पर नहीं, विशिष्ट अवसरों पर नहीं, हर जगह उन्हें समानता का अवसर चाहिए था। जोसेफ गाथिया ने लिखा है ''तुलसीदास की एक चौपाई हम अक्सर भूल जाते हैं ''पराधीन सपनेहू सुख नाहीं।'' बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये पार्वती की माँ के उद्गार हैं जो पार्वती को विदा करते समय उसके मुख से निकले थे। पूरी चौपाई का अर्थ है कि ब्रह्मा ने नारी को बनाया ही क्यों जो उसे सपने में भी पराधीनता मिली।

महिला सशक्तिकरण के दौर में लैंगिक विषमा

सशक्तिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है, शक्तिशाली बनाना। सशक्तिकरण भागीदारी की प्रक्रिया है जो घर और समुदाय से शुरु होती है। सशक्तिकरण जागरुक करने, अधिक साझेदारी के लिए क्षमता उत्पन्न करने तथा बड़े से बड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया है जो कि व्यक्तिगत और सामूहिक समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्बन्धें की शक्ति को बदलना है।

जी. पोलिनीथूराई के शब्दों में ''महिला सशक्तिकरण' वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनैतिक संस्थाओं द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर, मान्यता दी जाय''। किन्तु स्त्री पुरुष समानता के संवैधनिक प्रावधन, महिला संरक्षण एवं कल्याण की अनेकानेक अयोजनाओं तथा महिलाओं तथा महिला अधिकारों हेतु सहायक विभिन्न सामाजिक योजनाओं के बावजूद महिलाओं के प्रति भेदभाव आज भी चिन्ता का विषय हैं।

लैंगिक विषमता एक सार्वभौमिक समस्या है। जो भारतीय समाज में एक गंभीर रूप धारण किए हुए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप अनेक समस्यायें उत्पन्न होती है।

अभी हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम ने आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के आधार पर लिंग असमानता सूचकांक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जिसमें भारत 128 देशों में 114वें स्थान पर आता है। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत में लैंगिक विषमता 59.4 प्रतिशत है। भारत से नीचे बहरीन, केमरिन, बूकेन, ईरान, आमान, इजिप्ट, तुर्की, मोरक्को, बेनिन, सउदी अरब, नेपाल, पाकिस्तान और यमन है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 'अमर्त्यसेन' ने सात प्रकार की लैंगिक विषमता की बात कही है।

- मृत्युदर असमानता।
- जन्मदर असमानता।
- आधारभूत सुविधओं में असमानता।
- विशेष अवसरों में असमानता।
- व्यवसायिक असमानता।
- स्वामित्व असमानता।
- घरेलू असमानता।

भारतीय महिलाओं की जन्म आधारित अयोग्यता से मुक्त कर स्वतंत्रता एवं समानता का वातावरण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया जटिल हैं। नारीवादी दृष्टिकोण से यदि कहा जाय तो स्त्री पुरुष के मध्य समान सम्बन्धें की व्यवस्था ही लैंगिक विषमता को समाप्त कर सकती है। नारीवाद के परिपेक्ष्य में मानवीयता आवश्यक है। पुरुष एवं बच्चों के प्रति प्रतिशोध एवं

प्रतिकार की भावना के स्थान पर नारीवाद समता सहयोग पुरुष की मानसिकता समाज के मानदण्डों, संस्थाओं में बदलाव करने के लिए संघर्ष और इस संघर्ष में पुरुष को भी जोड़े तो संतुलित न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सकेगी।

नारी आंदोलन का भारतीय महिला समाज पर प्रभाव

भारतीय नारी स्वातंत्रा आंदोलन का दायरा बहुत विस्तृत है, इसमें गलत परम्पराओं, रूढ़ियों के समापन से लेकर राष्ट्रीय स्वाधिनता संग्राम तक और जागरण, संघर्ष, विद्रोह, विकास सभी कुछ समाहित है। जैसा कि आशारानी व्होरा का मानना है भारत में नारी मुक्ति का अर्थ पश्चिम की तरह पुरुषों की सत्ता से मुक्ति नहीं है, वरन् वास्तविकता तो यह है कि हमारे यहाँ नारी आंदोलन का सूत्रापात महिलाओं द्वारा न होकर भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राममोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर, स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे पुरुषों द्वारा ही हुआ।[2]

यह आन्दोलन और अध्कि मजबूत हुआ जब महिलाओं ने स्वयं जागरुक होकर इस आंदोलन में भाग लेना, शुरू किया। इन आंदोलनों ने समाज से स्त्राी को खोखला करने वाली रूढ़ियों और कुरीतियों के बंध्नों को ढीला करना शुरू कर दिया और नारी उत्थान का मार्ग प्रशस्त होने लगा। हालांकि इन प्रयासों का अध्कि प्रभाव अभिजात्य तथा शिक्षित वर्ग पर ही पड़ा था। पिफर भी महिला जागरण की लहर निरन्तर गतिमान थी और स्वतंत्राता के संग्राम में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। गाँधे जी ने महिलाओं का अपने आंदोलनों में आह्वान किया। इन महिलाओं ने ही महिला जागृति तथा मुक्ति हेतु कार्य किए। स्वतंत्रा भारत की संविधन निर्माण सभा में सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी आदि की सक्रिय भूमिका रही और संविधन में लिंग आधरित भेदभाव को कानूनन समाप्त कर दिया गया।

आज भारतीय समाज में महिलाएं न केवल जटिल बौ(िक कार्यों में पुरुषों की बराबरी कर रही हैं, वरन् कई जगह वह पुरुषों से आगे निकल चुकी हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधे देश की पहली महिला प्रधनमंत्राी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल महिला राष्ट्रपति, अमरीकी पत्रिाका 'पफोर्ब्स' द्वारा जारी सूची में विश्व की सौ शक्तिशाली महिलाओं में वर्ष 2008 में मायावती को सूची में 59वीं इस वर्ष इंदिरा नूई को तीसरा, सोनिया गांधे को 21वां, किरण मजूमदार शॉ को 99वां स्थान मिला। इस तरह के अनेकानेक उदाहरण आज मौजूद हैं।

दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी बहुत से परिवार, समाज ऐसे हैं जहाँ महिला को रूढ़ियों में जकड कर रखा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या हो या बलात्कार या छेड़खानी या घरेलू हिंसा अथवा बाल विकास यह सब आज भी हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं।

इस तरह हम यह नहीं कह सकते कि नारी आंदोलन का प्रभाव और प्रसार वहाँ तक हुआ है जहाँ तक उसकी आवश्यकता है।

एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है भी है कि नारी आंदोलन को लेकर भी मतभेद हैं, कुछ लोगों के लिए यह चेतना का वाहक है तो कुछ के लिए समाज परिवार को तोड़ने की साजिश। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है– आधुनिकता तथा मुक्ति के नाम पर कुछ महिलाओं द्वारा मर्यादाओं का उल्लंघन। अतः आवश्यकता यह है कि जागरण के साथ दिशा भ्रम को भी रोका जाना चाहिए। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि आज के महिला समाज में स्त्राी के अध्किारों की व्यापक मान्यता तथा प्रगति मार्गों की सहज उपलब्ध्ता महिला आंदोलनों की बड़ी सपफलता तथा सकारात्मक प्रभाव का परिणाम है।

राजनीति में महिलाओं की भूमिका

नारी किसी भी सभ्यता और संस्कृति की निर्विवाद जननी रही है। आदर्शों तथा यथार्थ के प्रतिरूपों में नारी ने प्रत्येक युग में अपनी अक्षय उर्जा से हर किसी से चिरंतन जिजीविषा का संचार किया है।

आज नारी ने मुक्ति की जिस अवधरणा को स्वीकार किया है वह उसे जनतांत्रिाक और लोकतांत्रिाक समाज तक ले जाता है। समानता सहभागिता और स्वतंत्राता की लड़ाई हुए, समाज में अपना रास्ता बनाते हुए आज वह राजनैतिक परिदृश्य पर दृश्यमान है।

भारत में मध्ययुग महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी का अवसान काल था। उस काल में रजिया सुल्ताना जैसी महिला शासक हुआ करती थी। आजादी की लड़ाई में भी महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय हैं। झांसी की रानी से लेकर बिठुर की दलित मैनावती तक महिलाओं के आजादी की लड़ाई में शहीद होने के अनगिनत किस्से हैं।

बीसवीं सदी के आरंभ में महिलाएं घर से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लिखने पड़ने की बात सोची नहीं जा सकती थी। राजनीति में महिलाओं के जाने का प्रश्न कापफी कौतुहल भरा था। पर मार्च 2010 में भारत सरकार ने एक नया इतिहास रचा। पिछले 14 वर्ष की लंबी प्रतिक्षा और संसद के तीन–तीन असपफल प्रयासों के बाद अंततः नौ मार्च को संसद के उच्च सदन ;राज्य सभाद्ध ने एक संविधन प्रस्ताव के माध्यम से लोकसभा तथा विधनसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों के आरक्षण की व्यवस्था के लिए स्वीकरोक्ति दे दी है। यह एक ऐतिहासिक विध्येक है जो भविष्य में भारतीय राजनीति के स्वरूप में यकीनन एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाएगा। यह भारतीय लोकतंत्रा को और गहरा करेगा।

महिलाओं के विकास तथा सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि सबके हित के पफैसले तक पहुँचा जा सके। महिला सशक्तिकरण वर्तमान समय का ज्वलंत प्रश्न है। समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण का आग्रह जोर पकड़ चुका है। नई शताब्दी में वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान महिलाओं की क्षमताओं और कौशल का विकास करके उन्हें अध्कि सशक्त बनाने तथा समग्र समाज की महिलाओं की स्थिति और भूमिका के जागरुक बनाने के प्रयास किये गये हैं। परिणामस्वरूप महिलायें आज विभिन्न क्षेत्राों में अध्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के विकास तथा शक्तिकरण में दो तत्व सर्वाध्कि सार्थक भूमिका निभा सकते हैं, ये हैं– शिक्षा और आर्थिक स्वावलम्बन। शिक्षा एक ऐसा तत्व है जो महिलाओं में स्वाभिमान और

आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं तथा प्रत्येक दृष्टि से सशक्त और अधिकार सम्पन्न बनाने में भी सहायक हैं। विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है कि शिक्षा से सशक्तिकरण होता है तथा जीवनपर्यन्त व निरंतर शिक्षा मानव जीवन के स्तर को उन्नत बनाती है।

महिलाओं का शिक्षा का स्तर देश में महिलाओं की वर्तमान व भावी स्थिति को समझने हेतु महत्वपूर्ण घटक है। महिलाओं का शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि वे परिवार को शिक्षित करती है। विकास वह दशा है जिसे मनुष्यों के जीवन की परिवर्तन प्रक्रिया में उनके कल्याण का उच्चतम जीवन स्तर आदि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है। महिलाओं को शिक्षित किये बिना उन्हें विकास की मुख्य धरा से जोड़ना सम्भव नहीं है। महिला शिक्षा का महत्व न केवल समानता के लिये आवश्यक है, अपितु सामाजिक विकास की प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए भी आवश्यक है।

शिक्षा से नवचेतना प्राप्त होती है जिससे महिलाओं को अपने अधिकार, कर्तव्य और दायित्वों को निभाने में सहायता मिलती है। महिलाओं को शिक्षित करने के अनेकों लाभ हैं, जन्म दर और मृत्युदर दोनों में कमी आती है। बीमारियों के नियंत्राण में मदद मिलती है तथा पर्यावरण सुधर व संरक्षण में अमूल्य योगदान प्राप्त होता है। विश्व बैंक के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के आँकलन के अनुसार, भारत में 100 बालिकाओं को शिक्षा सुविध उपलब्ध कराने में 32,000 अमेरिकी डॉलर का खर्च आयेगा। इसके बदले में 43 शिशुओं और दो माताओं की मृत्यु रुकेगी। इसके अलावा 300 जन्म रुकेंगे। इन लाभों का कुल मूल्य 52,000 अमरीकी डॉलर होगा। इस प्रकार मात्रा 100 बालिकाओं को शिक्षित बनाने में 20,000 अमेरिकी डॉलर का शुभ लाभ होगा। महिला शिक्षा का प्रभाव जनसंख्या वृ(तथा स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। भारत में दक्षिण के राज्यों जहाँ महिला साक्षरता दर अध्कि है, जनसंख्या वृ(दर कम है। मातृ मृत्यु दर तथा बाल मृत्यु दर पर्याप्त रूप से कम है। वर्तमान में महिलाओं में शिक्षा का प्रसार अपेक्षाकृत अध्कि तेजी से हुआ है। आँकड़ों के अनुसार 2004–05 में देश में अध्ययनरत छात्राओं की कुल संख्या 10.6 करोड़ से अध्कि हो गयी है जो पहले 8.4 थी। जहाँ पहले महिला साक्षरता दर केवल 6 प्रतिशत थी, वहीं 2001 में 54.16 प्रतिशत हो गयी है। महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उससे होने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ की जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा महिला शिक्षा के क्षेत्रा में किये जा रहे प्रत्यनों के साथ ही यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि स्वैच्छिक संस्थायें, स्वयंसेवी संस्थाएँ, समाजसेवी संस्थायें आदि इन प्रयासों में सक्रिय सहयोग दें। यदि इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति होती है तो महिला शिक्षा के क्षेत्रा में प्रगति का यह सिलसिला मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से उत्तरोत्तर निखरेगा और महिला शिक्षा को सही दिशा मिलेगी।

महिला साक्षरता

सर्वोच्च विश्व संस्था राष्ट्र संघ ने 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया और इसी वर्ष में यह निर्धरित किया गया कि प्रतिवर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। सकारात्मक पहल के बाद सम्पूर्ण विश्व में महिलाओं के प्रगति जारी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च पदों पर भी वे आसीन हुई हैं। मुख्यतः गत तीन दशकों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में व्यापक वृ(हुई है। लगभग 30 वर्षों की अवध्ि में महिलाओं की साक्षरता दर से उल्लेखनीय प्रगति हुई। उदाहरण के लिए भारत 1981 की जनगणना के अनुसार 1976 महिलायें ही साक्षर थीं। स्पष्टता महिला साक्षरता की परिस्थिति तब अत्यंत दयनीय थी। 1997 में महिला साक्षरता दर में बढ़ोतरी हुई तथा 2931 तक पहुँच गई। महिला साक्षरता की दिशा में केरल राज्य ने सर्वाध्कि प्रगति की। असमर्थ बालिकाओं व कामकाजी बच्चों को औपचारिक शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की गई। इस चुनौतिपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 1987–88 की अवध्ि में ब्लैक बोर्ड अभियान आरंभ किया गया इसके मुख्य उद्देश्य प्राथमिक पाठशालाओं के आधरित ढाँचे को और भी उन्नत बनाना है। बाद में 2001 में सर्वशिक्षा अभियान के रूप में उपयुक्त अभियान को बदल दिया इससे यह राष्ट्रीय अभियान और भी सशक्त रूप में उभरकर सामने आया और शिक्षा के क्षेत्रा में व्यापक उन्नति की उपलब्धि प्राप्त हुई। 1988 में राष्ट्रीय प्राध्किरण की स्थापना की गई। इससे साक्षरता राष्ट्रीय दर में निरन्तर बढ़ोतरी होती गई। भारत के कई राज्यों तथा संघ शासित राज्यों में माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। उदाहरण हेतु गुजरात राज्य 12वीं कक्षा तक बालिकाओं हेतु निःशुल्क शिक्षा कर दी गई। 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, ग्रामीण क्षेत्रा की महिलाओं हेतु यह अनोखा शैक्षणिक कार्यक्रम था। आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा प्रदान करवाने में यह सराहनीय तथा प्रशंसनीय प्रयास किया है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसा वातावरण बनाना था जिससे महिलाएँ ऐसा ज्ञान और सूचनाएं प्राप्त कर सके ताकि उन्हें समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने की सक्षमता प्राप्त हो।[3]

उद्यमिता एवं महिला सशक्तिकरण

देश के आर्थिक विकास के लिए पुरुष अद्यमियों के साथ–साथ महिला उद्यमियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है वर्तमान युग में महिलायें भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में सक्षम हैं, जो भूमिक उद्यमिता एवं सशक्तिकरण के लिए सार्थक प्रयास कहा जा सकता है। वैश्वीकरण के इस युग में आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश तेजी से बदल रहा है उसी प्रवाह के चलते आज महिलायें उद्यमिता एवं व्यवसाय के सभी क्षेत्राों में अपनी अमूल्य भूमिका निभा रही है। विश्व में लगभग 20 प्रतिशत एवं एशिया में 26 प्रतिशत से अध्कि व्यवसाय महिलाओं के नियंत्राण में है।

महिला सिपर्फ शहरों में ही नहीं अपितु ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्राों में भी विभिन्न व्यवसायों को अपनाते हुये अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने में सक्षम है जिसमें सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओं के अथक प्रयास रंग लाते नजर आते हैं। जिसके माध्यम से महिलायें भारत के अलावा विदेशों में पहुँचकर अपनी लगन और आत्मविश्वास के बल पर इतिहास कायम रखा है ऐसी महिलाओं को देखकर लगता है कि आज के युग में चाहे वह आर्थिक सक्षमता हो, पारिवारिक, नैतिक जिम्मेदारियां किसी भी क्षेत्रा की बुलन्दियों को छूने में सशक्त है।

विभिन्न युगों में खेलों के प्रति स्त्रियों का योगदान

विभिन्न युगों में खेलों के प्रति स्त्रियों की स्थिति विभिन्न प्रकार से रही है। 3250 ई.पू. से 250 ई.पू. में स्त्रियों को भारतीय समाज में विशेष स्थान प्राप्त था। वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अध्किार प्राप्त थे। इस काल में

लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा तथा सभी क्षेत्राों में समान अवसर प्राप्त थे। वे विभिन्न प्रकार की ललित कलाओं का अध्ययन करती थी।

250 ई.पू. से 600 ई.पू.,इस वैदिक काल में सूर्य नमस्कार धर्मिक कर्त्तव्य के रूप में किया जाता था। यह आज के शारीरिक व्यायाम या प्रशिक्षण के रूप में अध्कितर किया जाता है।

600 ई.पू. से 320 ईस्वी। इस युग के दौरान नागरिकों के जीवन में नाटकों एवं उत्सवों को विशेष भूमिका थी। जिसमें महिलाओं का कापफी योगदान था। इस दौरान महिलाओं की जल क्रीड़ा, नृत्य व संगीत अध्कि लोकप्रिय क्रीड़ायें थी।

1000 ईस्वी से 1757 ईस्वी इस दौरान सैनिक प्रशिक्षण पर अध्कि ध्यान दिया गया। देश भर में सैकड़ों जेम्नेजियम बनाये गये। इस काल में मलखम का पुनरु(ार किया गया। इस काल में घुड़सवारी, कुश्ती, शतरंज आदि लोकप्रिय खेल थे।

1757 ईसवी से 1946 इस काल के दौरान मुगल शासकों का अवसान भारत में शुरू हुआ। इस दौरान मुगलों के द्वारा सैनिक प्रशिक्षण के दौरान खेलों को अध्कि प्रोत्साहन दिया गया। इस काल में औरतें सैनिक प्रशिक्षण में तीर चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, कुश्ती, दौड़, शतरंज आदि खेलों में भाग लेती थी।

1947 के पूर्व शारीरिक शिक्षा ब्रिटिश शासकों की वजह से लगातार गिरती चली गई। इस दौरान भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजों का प्रभाव दिखाई देती है। इस दौरान महिलायें ड्रिल, दौड़, जमानास्टिक, तैराकी, तीरंदाजी आदि प्रमुख थे।

भारत में आजादी के पश्चात महिलाओं का खेलों में योगदान

आजादी के पश्चात भारत में हर क्षेत्रा में तेजी से प्रगति की। खेलों एवं शारीरिक शिक्षा के क्षेत्रा में भी कई योजनायें शुरू की गई। इसमें शारीरिक शिक्षा समिति जिसे ताराचन्द समिति कहा जाता है उसका गठन 1948 में किया गया। 1950 में केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना हुई। 1953 में स्वास्थ्य मंत्राालय के अन्तर्गत खेलों व क्रीड़ाओं के लिए कोचिंग स्कीम शुरू की गई। 1954 में अखिल भारतीय खेल परिषद का गठन किया गया। 1957 में शिक्षा मंत्राालय ने तीन वर्षीय डिप्टी कोर्स कराने वाला शारीरिक शिक्षा कॉलेज ग्वालियर में खोला। 1960 के बाद महिलाओं में खेलों के प्रति क्रांति आई और महिलाओं ने हर खेल में अपना प्रतिनिध्त्वि करना शुरू कर दिया। जैसे हॉकी, क्रिकेट, तीरन्दाजी, वेट लिफ्रिटंग, वालीबाल, बास्केटबाल, शतरंज, जुड़ो, खो–खो, कबड्डी, नौकापन, साईकलिंग, हैंडबाल, बेसलबाल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, टेनिस आदि में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है।[4]

सिन्धुघाटी की सभ्यता से मिले उपकरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस काल में भी महिलायें नृत्य एवं अन्य क्रियाकलापों का आयोजन किया करती थी। वैदिक काल में भी सूर्य नमस्कार धर्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता था। जिसमें महिलायें भी भाग लेती थी। प्राणायाम का प्रचलन भी इस युग को एक महत्वपूर्ण देन है। इस काल में कुश्ती, तलवार बाजी, ध्नुष, भाला पफेंकना घुड़सवारी आदि प्रमुख खेल थे। पूर्व हिन्दू काल के समय नाटकों एवं उत्सवों की विशेष भूमिका थी। महिला सेविकाओं से राजा जल क्रीड़ायें प्रसि(खेल थे। उत्तर हिन्दू काल–काल में कुश्ती पर्वतारोहण, तीरंदाजी आदि को विशेष स्थान प्राप्त था। इसके अतिरिक्त तैराकी आदि भी लड़कियों के लोकप्रिय खेल थे। 1947 के बाद भारत में शारीरिक शिक्षा एवं खेलों के प्रति एक भूचाल आया और हर क्षेत्रा में खेलों को बढ़ावा मिलने लगा। अनेक खेलों के महिला संगठनों की स्थापना हुई। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला खिलाड़ियों के लिये अनेकों सुविधयें उपलब्ध कराना शुरू की और महिलाओं ने हर खेलों में अपना प्रतिनिध्त्वि बनाना शुरू किया। इस आधुनिक युग में महिलाओं ने ओलम्पिक से लेकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अनेकों पदक एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर किया इस समय महिलायें एथलेटिक्स, बैडमिन्टन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, तैराकी, वालीबाल, बास्केटबाल, हैंडबाल, साफ्रटबाल, बेसबाल, जुड़ों, कुश्ती, शतरंज, पोलो, घुड़सवारी, नौकायन आदि खेलों में महिलाओं का प्रतिनिध्त्वि कर रही है।

ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण

नारी ईश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति एवं सृष्टि का उद्गम स्रोत है। मानव जाति का सर्वांगीण विकास नर–नारी की सह–स्थिति पर ही आधरित है। इस सार्वभौमिक सत्य को नकारते हुए पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों की दशा शोचयनीय हो गई है। ऐसा नहीं है कि उनमें कार्य क्षमता का अभाव है, बल्कि उचित अवसर के अभाव एवं सामाजिक रूढ़ियों के कारण उनकी आंतरिक शक्ति का ह्रास हुआ है, लेकिन उनको जब भी अवसर मिला है, तब ही उन्होंने अपनी शक्ति और कार्य कुशलता का परिचय दिया।

स्वतंत्राता प्राप्ति के पश्चात् नारी की स्थिति में तीव्र गति से परिवर्तन हुआ। संविधन मे ंनारी को पुरुषों के समान ही अध्किार प्रदान किये गए, जिससे उनमें अपने अध्किारों एवं विकास के प्रति चेतना जागृत हुई। आज भारतीय समाज में महिलाएं पुरुषों के वर्चस्व वाले गढ़ों को भेदने के बाद सपफलता के ऐसे अद्भुत व प्रेरणादायी कीर्तिमान स्थापित कर रही है, जिसकी छाया अर्न्राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी नजर आ रही है। भारत जैसे विकासशील देश में महिलाओं के विकास के बिना आर्थिक विकास सम्भव नहीं हो सकता है। भारत की जनसंख्या का लगभग 72 प्रतिशत जनाधर ग्रामीण है। ग्रामीण महिलाएं किसी भी विकास खण्ड, राज्य या राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती है, जितना पुरुषों का है। यद्यपि महिलाएं व कुटीर उद्योगों में अपनी सहभागिता निश्चित किए हुए है, किन्तु यदि वह किसी सेवा या व्यवसाय में कार्यरत नहीं है तो भी वह पुरुष के बाहर के विकास कार्यों के लिए मुक्ति प्रदान कर उचित और अनुकूल वातावरण देकर भावी पीढ़ी को शिक्षित कर आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी का सपफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है।

भारत के विभिन्न क्षेत्राों में महिलाओं की सहभागिता होने पर भी राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिला भागीदारी का सर्वेक्षण करने पर यह भी ज्ञात होता है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में ग्राम के प्रधनों द्वारा उनका शोषण जारी है। साथ ही दूर–दराज के क्षेत्राों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम नहीं पहुँच पाए हैं तथा जिनके लाभ से महिलाएं वंचित है और जिसका मूल कारण उनमें विद्यमान अशिक्षा है।

अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा उन्हें शोषण से पूर्णतः मुक्ति दिलाने हेतु यह अति आवश्यक है कि राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का सुचारू ढंग से संचालन किया

जाए, जिसके अन्तर्गत महिलाओं को अध्किाध्कि शिक्षित किया जाए, जिससे वे अपने अध्किारों के प्रति सजग रहकर अपने कल्याण हेतु पर्याप्त रोजगार प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। [5]

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के महिलाओं के कल्याण एवं विकास की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकारी कार्यक्रम एवं नीतियां बनाई गई हैं। महिलाओं हेतु सरकारी कार्यक्रमों में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनकी सहभागिता एक वांछित न्यूनतम स्तर तक अवश्य हो सके एवं महिलाओं को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सके, परन्तु महिला विकास की इन नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निचले स्तर पर पूरी ईमानदारी के साथ लागू किए बिना अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा। अब समय का तकाजा है कि इन कार्यक्रमों और योजनाओं की प्राथमिकता पुनः नये सिरे से निर्धरित की जाये और संसाध्नों का आवंटन इस प्रकार से किया जाए कि सही समय पर, सही तरीके से, सही लोगों और सही क्षेत्राों तक पहुंच सके।इस प्रकार के कुछ व्यावहारिक कदम उठा करके सदियों से उपेक्षित रही इस आधी आबादी में नयी स्पफूर्ति लायी जा सकती है तथा देश के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास में इन लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने जैसे अहम् उद्देश्य की पूर्ति संभव हो।

जब हम अपने अतीत पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि भारत में गार्गी और मैत्रोयी जैसी प्रसि(महिला दार्शनिक थीं जो पुरुषों के स्तर पर ही भाषण–प्रवचन तथा बहस–मुबाहिशों में हिस्सा लिया करती थी। हमारे स्वाधीनता आंदोलनों में भी महिलाओं का योगदान पुरुषों से थोड़ा भी कम नहीं था। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ने के महात्मा गांधे के आह्वान पर ऐसे समय में महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया जब सिपर्फ 2 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित थी। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महिलाओं के लिये घर से बाहर निकलना कितना कठिन था, परन्तु तब भी वे बाहर निकलीं। आजादी के पश्चात भी संविधन सभा के सदस्य के रूप में महिलाओं ने स्वतंत्रा भारत के लिये संविधन का मसौदा तैयार करने के काम में हिस्सा लिया। यह गर्व की बात है कि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रस्ताव पर संवि***धा***न ने शुरू से ही महिलाओं को वोट देने का अध्किार दिया, जिससे ऐसी व्यवस्था वाले चुनिंदा देशों की श्रेणी में भारत भी शामिल हो गया। यह दुर्भाग्य की बात है कि आज भी दहेज, बाल–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या तथा नशे की लत हमारे समाज में कायम है। मुझे विश्वास है कि हम सभी सामूहिक रूप से इन्हें दूर कर सकते हैं। उन सामाजिक व्यवहारों में भारतीय समाज में प्रगतिशील तथा अग्रसोची होने की परंपरा रही है जिन व्यवहारों में सुधर अथवा उनकी समाप्ति की जरूरत थी। हम लोगों ने हमेशा ऐसा करने की हिम्मत एवं विवेकशीलता दिखाई। 19वीं सदी में राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सुधरकों ने सामाजिक बुराईयों के खिलापफ लड़ाइयां लड़ीं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं के खिलापफ भेदभाव तथा हिंसा से लड़ने की इच्छा कायम है। इस बात की जरूरत है कि समाज में जागरुकता पैदा कर हम अपेक्षित परिणाम पाने की कोशिशें तेज करें तथा उस दिशा में अपनी शक्ति लगाएं।

बाल विवाह बच्चों के प्रति भारी अन्याय है। एक युवती, जो अभी प्रारंभिक अवस्था में है और अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह समझ भी नहीं पाई है, उसे वैवाहिक बंध्न में जकड़ दिया जाता है। बाल विवाह न सिपर्फ बालिका पर प्रतिकूल असर डालता है, बल्कि उन पर अन्य तरह के भी कई बुरे असर पड़ते हैं। मैंने बाल विवाह के ऐसे मामले देखे हैं जब बालिकाए केवल 13 या 14 साल की उम्र में ही माँ बन जाती है। उसके बाद से वह बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाती हैं। इसका उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और वे अपने बच्चों को वांछित स्तर की पौष्टिकता नहीं दे पातीं ओर न ही उनकी सही देखभाल ही कर पाती हैं। जब एक युवती के पढ़ने, सीखने तथा जीविका के लिये कुशलता ग्रहण करने का समय होता है, उन्हें नयी पीढ़ी की देखभाल का भार सौंप दिया जाता है। यह सापफतौर पर अन्यायपूर्ण स्थिति है। बाल–विवाह के बंध्न में बांध्कर हमने युवतियों को शिक्षित एवं योग्य नागरिक बनने के सुअवसर से वंचित कर दिया है। साथ ही बच्चों की नयी पीढ़ी को सुविज्ञ एवं स्वस्थ्य माँ की सही निगरानी से भी वंचित कर दिया है। इससे सामाजिक एवं आर्थिक रूप से समाज को कितना बड़ा नुकसान हुआ है, यह बताना कठिन है।

महिलाओं तथा बालिकाओं के प्रति हमारे रुख में बदलाव की जरूरत है। पिछले दो दशकों के दौरान महिलाओं को अध्किार संपन्न बनाने के लिये महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं, पिफर भी और अध्कि उपायों की जरूरत है। महिला अध्कारिता के स्तंभों में साक्षरता, शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधएं तथा मां और बच्चों के लिये पौष्टिकता, राजनीतिक प्रतिनिध्त्वि तथा स्वरोजगार के सुअवसर सहित वित्तीय सुरक्षा शामिल हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। ये सारे काम महिलाओं को अपने अध्किारों के प्रति जागरूक बनाने, उन्हें महिला होने का गर्व होने, प्रेरक माहौल बनाने तथा गरिमापूर्ण जीवन जीने का सुअवसर प्रदान करने पर ही पूरे हो सकेंगे। अक्सर यह देखा जाता है कि महिलाओं को कम मजदूरी वाले काम दिये जाते हैं और विकास के जैसे अवसर पुरुषों को मिलते हैं उन्हें नहीं मिल पाते। जब कभी भारतीय महिलाओं को अनुकूल माहौल और सही सुविधएं मिली हैं वे सपफल हुई हैं और इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासक, उद्योगपति, पुलिस बल तथा सशस्त्रा बल के सदस्य, यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्राी बन गई हैं।

महिलाओं की शिक्षा तथा अध्किारिता विकास एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य सरकारों को ऐसी योजनाएं लागू करनी चाहिए जो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करें। इससे स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाली बालिकाओं की संख्या में भी कमी आएगी। घरेलू हिंसा तथा सामाजिक भेदभाव कम करने के लिये एक समुचित सामाजिक एवं कानूनी माहौल बनाने की जरूरत है जिसके लिये समाज के सभी वर्गों, सामाजिक संगठनों, मीडिया तथा सरकार को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। हमारी नीतियां तथा कार्यक्रम भी ऐसे होने चाहिए, जो महिलाओं की जरूरतों तथा हितों को ध्यान में रखकर तैयार हों। महिलाओं को स्वसहायता समूहों द्वारा)ण सुविध देकर अपना कारोबार शुरू करने के लिये मदद दी जानी चाहिए। ये उपाय महिलाओं को आर्थिक स्वालंबन प्राप्त करने में मदद पहुंचायेंगे तथा उनकी अध्किारिता में योगदान करेंगे। हमारा मकसद होना चाहिए कि महिलाओं को काम करने का सुअवसर दें तथा ऐसा माहौल बनाएं जिसमें महिलाएं सम्मान एवं गरिमा के साथ रह सकें। और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।

एक राष्ट्र के रूप में हमारी पूरी क्षमता का उपयोग तभी हो सकेगा जब महिलाएं, जो हमारी आबादी का करीब आध हिस्सा हैं, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें। जब तक ऐसा नहीं होता है, प्रतिभा का आध हिस्सा, प्रगति का आधा

भाग, बर्बाद होता रहेगा। एक राष्ट्र के रूप में हमलोग इस बर्बादी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिस तरह एक रथ के आगे बढ़ने के लिये उसके दोनों पहियों के आगे चलने की जरूरत होती है उसी तरह पुरुषों और महिलाओं को संयुक्त रूप से मजबूत होने और आगे बढ़ने की जरूरत होती है।

संदर्भ सूची

1. मजूमदार,ए. एम. सोशल वेलपफेयर इन इंडिया, मुम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउसए १९६१
2. एजुकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल स्टाफ कालेज फार एजुकेशनल प्लानर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्सए नई दिल्ली, १९७७ ।
3. श्री निवास, एम. एन.,सोशल चेन्ज इन माडर्न इंडिया, आरिऐट लॉगमैनए १९६६ एरूहेला एस.पी., भारतीय समाजः संरचना और परिवर्तन, लखनऊ, यू. पी. हिन्दी ग्रंथ अकादमीए १९७३.
4. कुप्पू स्वामी, बी., सोशल चेंज इन इंडिया, नई दिल्ली, विकास पब्लिकेशन्स आनन्द, सी.एल. रोहेला, एस.पी., पांडा, एस.पी.,पांडा, एस.एन. शेषाद्रि, सी., और अरोड़ा, कमला, 1984ए टीचर एंड एजुकेशन इन एम^{2}जग इंडिया सोसायटी, एन.सी.ई.आर.टीए नई दिल्ली
5. द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑपफ इक्वालिटी ऑफ आपरचुनिटी इन एजुकेशन इन इंडिया, एन.सी.ई.आर.टी. नई दिल्ली ।
6. अपडेट टू द नेशनल प्लान ऑफ एक्शन, इंडिया, इंडियाज स्ट्राइड टुआर्डस एजुकेशन फार आल, नई दिल्ली,२००३ ए प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाध्न विकास मंत्राालय।
7. द्विवेदी, पूनमए महिला सशक्तिकरण और वर्तमान कानून, कुरूक्षेत्रा, मार्च, सारस्वत २००७ भारत में महिलाओं के प्रस्थिती, कुरुक्षेत्र, मार्च,
8. कुमार, नीरजए महिला सशक्तिकरण की कुछ कोशिशें, कुरुक्षेत्र, मार्च, २००७
9. बसु,डी.डी.,इंट्रोडक्शन टू द कंस्ट्रीट्यूशन आफ इंडिया,नई दिल्ली, प्रेक्टिंस हाल आफ इंडिया लि.१९९८
10. सीमोन दबोउबार, अनुण प्रभा खेतान, स्त्राी उपेक्षिता, पेपर बैक संस्करण, 2000, द सेकेंड सक्स, लेखिका : हिंद पॉकेट बुक्स दिल्ली, पृ. 2–8
11. ए.आर. देसाई, स्त्राी स्वातंत्रय का आंदोलन ;भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमिद्ध, प्रेस– मैकमिलन इण्डिया लिमिटेड, दिल्ली, पृ. 218–23,
12. वही.
13. भारत सरकार, कॉमनवेल्थ मैगजीन, खेल मंत्राालय, दिल्ली, 2010, पृ. 19–27
14. वही.